

D
(21224)
LL.M.-III Sem.

Printed Pages : 4
Roll No.

L-66

LL.M. Examination, December-2024

(GROUP-C)

GENERAL PRINCIPLES OF TORT

(L-3012)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Law of Torts is said to be a development of the maxim 'ubi jus ibi remedium'. Trace the development of law of torts and Justify the statement.

कहा जाता है कि अपकृत्य विधि उक्ति "जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है" का ही विकसित रूप है। अपकृत्य विधि के विकास को समझाइये और कथन के औचित्य को सिद्ध कीजिए।

2. Tort and Crime both involve wrongful acts, they differ in their nature, consequences and legal proceeding. There is distinction between Tort and crime, but there are various wrongs which find place both under criminal law and law of Torts. Comments and unveil the distinction.

L-66

[P.T.O.]



(2)

अपराध एवं अपकृत्य दोनों में दोषपूर्ण व्यवहार शामिल है, दोनों प्रकृति, परिणाम और कानूनी कार्यवाही में भिन्न होते हैं। अपकृत्य एवं अपराध के मध्य विभेद होता है परन्तु कतिपय दोष ऐसे हैं जो दोनों के अंतर्गत जगह पाते हैं। टिप्पणी कीजिए और इनके मध्य विभेद को उजागर कीजिए।

3. "Just as criminal law consist of a body of rules establishing offences so the law of Torts consist of a body of rules establishing specific injuries neither in one nor in the others is there any general principle of liability." Comment and discuss the two competing theories as to whether there is law of tort or law of torts.

“जिस प्रकार अपराधिक विधि अपराधों को स्थापित करने वाले नियमों का समुच्चय होता है उसी प्रकार अपकृत्य विधि भी विशिष्ट क्षतियों को स्थापित करने वाले नियमों का समूह है। दोनों में से किसी के अंतर्गत भी दायित्व का कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं होता” टिप्पणी कीजिए तथा दोनों प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों कि यह अपकृत्य विधि है या अपकृत्यों की विधि की व्याख्या कीजिए।

4. Explain the general defences of "Act of God" and "Inevitable accident". Differentiate between the two with the help of suitable illustrations and Case Law. दैव कृत्य एवं अपरिहार्य दुर्घटना की अपकृत्यात्मक दायित्व से सामान्य बचाव के रूप में व्याख्या कीजिए। उपयुक्त दृष्टांतों और निर्णित वादों की सहायता से दोनों के मध्य विभेद स्थापित कीजिए।

(3)

5. What are the different remedies available for tortious acts? Point out the judicial remedies and explain the same with reference to leading cases.

अपकृत्य के विरुद्ध उपलब्ध विविध उपचार क्या हैं? न्यायिक उपचारों को इंगित करते हुए सारवान वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

6. What is remoteness of damage? Write down the theories about it. Which theory prevails now?

क्षति की दूरस्थता क्या होती है? इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अब कौन सा सिद्धान्त प्रचलित है?

7. Discuss the rule laid down in Rylands v. Fletcher case with exceptions. State its relevancy in the present scenario.

रायलैण्डस बनाम फ्लैचर के वाद में निर्धारित सिद्धांत का अपवादों सहित विवेचना कीजिए। वर्तमान परिदृश्य में इस सिद्धांत का औचित्य उल्लिखित कीजिए।

8. Discuss the evolution and development of rule relating to 'No fault liability' in India with help of decided cases.

भारत में "नो फॉल्ट लायबिलिटी (बिना दोष दायित्व)" के नियम के उद्भव एवं विकास की व्याख्या निर्णित वादों की सहायता से कीजिए।

L-66

[P.T.O.]



(4)

9. "State liability in torts has undergone an acute transformation in recent times." Discuss in the light of Judicial pronouncement.

“अपकृत्य विधि में हाल के वर्षों में राज्य दायित्व के संबंध में तीव्र परिवर्तन आया है” न्यायिक विनिश्चयों के आलोक में व्याख्या कीजिए।

10. Write short note on :

(a) When is the principal not liable for the tort committed by his servant ?

(b) Contribution between Joint tortfeasors

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(क) कब प्रमुख अपने सेवक के अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है ?

(ख) संयुक्त अपकृत्यताओं के मध्य अंशदान

Compulsory leave on
14 Jan. 2024 - 28 Dec.
Sat. 2024.